भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 3019

गुरूवार, 13 अगस्त, 2026/22 श्रावण, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

हिमाचल प्रदेश में पारिस्थितिकी पर्यटन का विस्तार

3019 डा. सिकंदर कुमारः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हिमाचल प्रदेश में विभिन्न वन मंडलों में 50 नए पारिस्थितिकी पर्यटन स्थलों के लक्षित विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्थानीय जनजातीय युवाओं को प्रमाणित नेचर गाइड और आउटडोर आतिथ्य उद्यमी के तौर पर प्रशिक्षण देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्त-पोषित लक्षित क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंत्रालय द्वारा लागू किए गए वे दिशा-निर्देश क्या हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की होमस्टे नीति में गैर-निवासियों के लिए उदारीकरण से स्थानीय युवा समुदाय आर्थिक रूप से विस्थापित न हों?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क): पर्यटन स्थलों और पर्यटन उत्पादों का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन (एसडी)', 'स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0)', 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)'- स्वदेश दर्शन की एक उप-योजना और 'तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' नामक अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करके हिमाचल प्रदेश राज्य सहित अन्य राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के पर्यटन अवसंरचना विकास संबंधी प्रयासों को संपूरित करता है। यह वित्तीय सहायता, निधियों की उपलब्धता, योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन और समय-समय पर जारी किए गए अन्य निर्देशों, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की प्रस्तुति आदि के अध्यधीन

दी जाती है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत पूर्ण रूप से स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख): मंत्रालय एक डिजिटल पहल के माध्यम से अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता (आईआईटीएफ) और अतुल्य भारत पर्यटक गाइड (आईआईटीजी) प्रमाणन कार्यक्रम चलाता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सुप्रशिक्षित और पेशेवर पर्यटक सुविधाप्रदाताओं और गाइडों का एक समूह तैयार करता है।

पर्यटन मंत्रालय "सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी)" नामक अपनी योजना के अंतर्गत कौशल विकास, कौशल उन्नयन और पुनः कौशल विकास के लिए सरकारी संस्थानों तथा सूचीबद्ध निजी संस्थानों, जिनमें होटल प्रबंधन संस्थान, खाद्य शिल्प संस्थान, भारतीय पाककला संस्थान आदि शामिल हैं, के माध्यम से आतिथ्य एवं पर्यटन से संबंधित अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संचालित करता है। इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में हुनर से रोजगार तक, उद्यमिता कार्यक्रम, कौशल परीक्षण और प्रमाणन और पर्यटन जागरूकता कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

(ग): पर्यटन मंत्रालय भारत के उन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्वैच्छिक आधार पर होमस्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट सुविधाओं के साथ पूर्ण रूप से ऑपरेशनल कमरों का वर्गीकरण करता है, जहां संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के पास होमस्टे/बेड एंड ब्रेकफास्ट के अनुमोदन/वर्गीकरण/मान्यता के लिए अपनी कोई योजना नहीं है। हिमाचल प्रदेश ने अपनी स्वयं की होमस्टे/बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) योजना अधिसूचित की है और इसलिए, होमस्टे/बी एंड बी का वर्गीकरण इस राज्य द्वारा स्वयं किया जाता है।

अनुबंध

डा. सिकंदर कुमार द्वारा हिमाचल प्रदेश में पारिस्थितिकी पर्यटन के विस्तार के संबंध में दिनांक 13.08.2026 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के लिखित प्रश्न संख्या 3019 के भाग (क) के उत्तर में **विवरण**

स्वदेश दर्शन योजना

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**परिपथ/ स्वीकृति वर्ष**	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)**
1.	हिमाचल प्रदेश	हिमालयन 2016-17	हिमालय परिपथ: कियारीघाट, शिमला, हाटकोटी, मनाली, कांगड़ा, धर्मशाला, बीर, पालमपुर, चंबा का विकास	68.34

स्वदेश दर्शन 2.0

क्र. सं.	**राज्य**	**गंतव्य**	**अनुभव का नाम**	**स्वीकृति तिथि**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)**
1.	हिमाचल प्रदेश	चिंतपूर्णी	मां चिंतपूर्णी देवी मंदिर, ऊना का विकास	04.07.2025	56.26

चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)

क्र. सं.	**राज्य**	**गंतव्य/श्रेणी**	**अनुभव का नाम**	**स्वीकृति तिथि**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)**
1.	हिमाचल प्रदेश	काज़ा (संस्कृति एवं विरासत)	संस्कृति एवं विरासत के अंतर्गत काज़ा	27.03.2025	24.82
2.	हिमाचल प्रदेश	रक्छम (जीवंत ग्राम कार्यक्रम)	रक्छम - जीवंत ग्राम में पर्यटन अवसंरचना विकास	27.03.2025	4.96
